

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-14)

क्रमांक प0 2(11)ग्रावि/SECC/14/2011

जयपुर, दिनांक : 25 08.2011

अधिसूचना

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना वर्ष-2011 कराए जाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के अ.शा. पत्र क्रमांक-Q.16015/04/2011 AI (RD) दिनांक 24.06.2011 के अनुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से कराया जावेगा। अतः घोषणा की जाती है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 संबंधी कार्य की शुरुआत राजस्थान राज्य में दिनांक 01.11.2011 से प्रारम्भ कर इसके पूर्ण होने तक संपादित किया जाएगा।



(सी.एस.राजन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं  
नोडल अधिकारी SECC-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव/सचिव/विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव/संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
7. प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग/शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राज0 जयपुर।(क्रम सं. 6, 7 व 8 के अलावा)
10. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष, राज.।
11. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
12. समस्त जिला कलेक्टर, राज.।
13. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को भेज कर लेख है कि अपने जिले के पंचायती राज संस्थाओं के समस्त जनप्रतिनिधियों एवं विकास अधिकारियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
14. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झालाना डुगरी, जयपुर।
15. समस्त उपखण्ड अधिकारी/समस्त तहसीलदार राजस्थान।
16. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।

25/8/11  
शासन सचिव